न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
4/2024	22.3.2024	30.07.2025

गुलाबदेवी पुत्री भौरया पत्नी मानसिंह, माली निवासी जलोखरा हालवासी छावा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

1. जगन पुत्र भौरया, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 रामप्यारी पत्नी जगन, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
1/2 आशा पुत्री जगन, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
1/3 लाली पुत्री जगन, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
1/4 बनवारी पुत्र जगन, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
1/5 बनवारी पुत्र जगन, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
2. जगदीश पुत्र भौरया, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
3. प्रकाश पुत्र भरती, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
4. चरण पुत्र भरती, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
5. विजय पुत्र भरती, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 01.01.2002 ग्राम पंचायत बाढकलॉ बाबत् भूमि ग्राम जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी

उपस्थित :–श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकिशोर शर्मा, एडवोकेट, रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत बाढकलॉ के ग्राम जलोखरा मे भौरया पुत्र हठीला माली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 301 रकबा 1.03 है0 व गैर मुमकिन चाह ख0न0 302 रकबा 0.02 है0 रहे है। अपीलार्थी उक्त भौरया की पुत्री एवं जगन, जगदीश, भरती उसके पुत्र तथा बसन्ती उसकी पत्नी है जो भौरया की मृत्यु के समय उसके वारिस थे। अपीलार्थी की शादी हो चुकी है। अपीलार्थी अपने ससुराल से पीहर जलोखरा आती जाती रहती है तथा अपने पिता की छोडी हुई कृषि भूमि से कृषि कर लाभान्वित होती चली आ रही है। अपने पिता की मृत्यु के समय उक्त भूमि मे अपीलार्थी का 1/5 हिस्सा रहा है। अपीलार्थी को अपने घरेलू व कृषि कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर अपने भूमि का रहन रखकर बैंक से लोन लेने की बात करने अपीलार्थी अपने पति के साथ पंजाब नेशनल बैंक पहुची तो बैंक मैनेजर ने जमाबंदी की प्रति लाने को कहा। अपीलार्थी ने दिनांक 16.2.2024 को पटवारी हल्का बाढकलॉ से जमाबंदी मांगी की तो उसने बताया कि अपीलार्थी के नाम जलोखरा मे कोई भूमि नही है। अपीलार्थी ने पटवारी हल्का से कहा कि मेरे पिता के मरने के बाद मेरे नाम भी भूमि होनी चाहिए थी तो पटवारी हल्का ने अपीलार्थी को नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 1.1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:54:36 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

2002 की सत्यप्रतिलिपि दी। जिसमे प्रार्थिया का नाम नही था। इस प्रकार अपीलार्थी को अपीलाधीन गलत नामान्तकरण की जानकारी हुई। पक्षकारान हिन्दू विधि से शासित है एवं हिन्दू उत्ताराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक की पुत्री का भी उतना ही अधिकार मृतक की सम्पत्ति मे होता है जितना अधिकार पुत्रो का होता है। नामान्तकरण भरते समय पटवारी व गिरदावर हल्का ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया तथा ग्राम पंचायत ने भी नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कोई जॉच नही की। अपीलार्थी की माता का देहावसान हो चुका है तथा अपीलार्थी के एक भाई भरती का भी देहावसान हो चुका है। इसलिए उसके पुत्रगण प्रत्यर्थी संख्या 3,4,5 को भी पक्षकार बनाया गया है। नामान्तकरण का ज्ञान प्रथम वार दिनांक 16.3.2024 को हुआ है इसलिए जानकारी होने अपील अंदर मियाद पेश है फिर भी कानूनी अडचन से बचने के लिए विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत वाढकलॉ द्वारा तस्दीक किया गया ग्राम जलोखरा का नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 1.1.2002 निरस्त फरमाया जावे तथा पुनः सही प्रकार से विधिवत नामान्तकरण तस्दीक करवाने की कृपा करें।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 1.1.2002 प्रस्तुत किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलव किया गया एवं मूल नामान्तरकरण तलव किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 6 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से अपीलाधीन नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से जवाव इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी गुलाव देवी प्रत्यर्थीगण की सगी वहिन है तथा हमारे पिता भौरया की पुत्री है। माता वसन्ती का व भरती का देहावसान हो चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 3, 4, 5 भरती के पुत्र है। नामान्तकरण मे गुलाव देवी का हिस्सा भी दर्ज होना चाहिए था। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपील मे डिले कन्डोने करने मे हमे कोई आपत्ति नही है। अतः जवाव मीमो आफ अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी का नामान्तकरण हो जाने से हमे कोई आपत्ति नही है। अपील स्वीकार फरमायी जाकर गुलाव देवी का हिस्सा दर्ज फरमाने का आदेश अधीनस्थ को दे दिया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:36 IST
Reason: SelfAttested

वहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने [illegible] के अनुरूप वहस करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करने का निवेदन किया है।

रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान अभिभापक ने अपनी वहस मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने मे उन्हे कोई आपत्ति नही होना कहा है।

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं इसके साथ प्रस्तुत अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 1.1.2002 का अवलोकन किया गया। चूकि अपीलाधीन नामान्तकरण वर्ष 2002 का निर्णित है एवं इस संभावना को ध्यान मे रखते हुए कि इतने लम्बे समय के पश्चात अपीलाधीन नामान्तकरण मे दर्ज खसरा नम्बर से सम्बधित वर्तमान जमाबंदी अपीलार्थी ने प्रस्तुत नही की है तथा वर्तमान मे अपीलाधीन नामान्तकरण से सम्बद्ध भूमि के अभिलेख मे कोई परिवर्तन होना भी संभावित है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण मे दर्ज भूमि ख0न0 301 व 302 ग्राम जलोखरा की जमाबंदी का अवलोकन किया गया। अवलोकन मे यह पाया गया कि ख0न0 301 के वर्तमान मे ख0न0 366/301, 377/301, 379/301, 367/301, 368/301, 369/301, 385/301, 372/301 बने है। इनमे ख0न0 366/301, 377/301, 379/301 मदनमोहन गुप्ता पुत्र जगनलाल गुप्ता के नाम खातेदारी मे दर्ज है। ख0न0 367/301 जगन पुत्र भौरया के नाम दर्ज है। ख0न0 368/301 चरण सिंह, छोटी बाई, प्रकाश और विजय के नाम दर्ज है। 369/301, 385/301 एवं 37/2301 सुमन नरूका पत्नी दीपक सिंह नरूका के नाम दर्ज है तथा इन नम्बरों की जमाबंदियो मे इस न्यायालय के टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 69/23 उनवानी गुलाब देवी बनाम जगन वगैरा मे दिनांक 16.10.2023 को पारित निर्णय की पालना मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का नोट भी अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अपनी अपील मे न्यायालय से तथ्यों का छुपाया है और अपीलाधीन नामान्तकरण मे वर्णित ख0न0 301 की वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज खातेदारो को अपनी अपील मे पक्षकार भी नही बनाया है जो अपीलार्थी की नियत पर संदेह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार नही बनाने तथा तथ्यों को छुपाने के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:36 IST
Reason: SelfAttested

(ब्रजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)